

न्यायालय:- सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला -बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क.-440 / 2009
 संस्थित दिनांक-10.08.2009
 फाईलिंग क.234503000422009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा,
 तहसील-बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

1-आत्माराम पिता अंकलराम साहू, उम्र-36 वर्ष,
 निवासी-ग्राम चरचेण्डी, थाना बिरसा,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

2-सुरुम उर्फ सूरज पिता रामलाल साहू, उम्र-30 वर्ष,
 निवासी-ग्राम चरचेण्डी, थाना बिरसा,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

3-चैतराम पिता सुखीराम साहू, उम्र-28 वर्ष,
 निवासी-ग्राम चरचेण्डी, थाना बिरसा,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- **आरोपीगण**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-10/09/2015 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188, 427/34 के अन्तर्गत यह आरोप है कि दिनांक-31.07.2009 की रात्रि 8:00 बजे से दिनांक-01.08.2009 की सुबह 9:00 बजे की समयावधि में थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम चरचेण्डी में फरियादी रमेश क्षीरसागर के खेत में यह जानते हुए कि तहसीलदार महोदय, बिरसा द्वारा फरियादी की खसरा नंबर-28/01, रकबा 3.64 एकड़ भूमि पर किसी कार्य से विरत रहने का आदेश प्रख्यापित किया गया है, जिसे प्रख्यापित करने के लिए उक्त लोक सेवक सशक्त था, उसकी अवज्ञा के परिणामस्वरूप विधिपूर्वक नियोजित फरियादी रमेश क्षीरसागर को बाधा क्षति कारित कर, फरियादी की धान रोपा बंदी में पानी निकासी का रास्ता बंद कर पानी भर दिये, जिससे धान रोपा सड़ने से रिष्टी कारित की

और उसके द्वारा आपने सामान्य आशय के अग्रसरण में करीब 12,000/-रुपये की हानि/नुकसान कारित की।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—31.07.2009 की रात्रि 8:00 बजे से दिनांक—01.08.2009 की सुबह 9:00 बजे की समयावधि में फरियादी रमेश क्षीरसागर की निजी जमीन खसरा नंबर 28/1, रकबा 3.64 एकड़ जमीन पर धान रोपा लगाया था। उक्त भूमि को ग्राम चरचेण्डी के आत्माराम वगैरह शासकीय भूमि समझकर तालाब बनाने हेतु खुदाई कर रहे थे, जिसके संबंध में काम रूकवाने हेतु तहसीलदार बिरसा से स्थगन आदेश प्राप्त किया, तब रोपा लगाया गया। दिनांक—31.07.2009 को रात्रि 8:00 बजे आरोपीगण ने जानबूझकर आदेश की अवहेलना करते हुए धान रोपा में नुकसानी करने की नियत से धान रोपा लगी बंदी में पानी निकासी का रास्ता बंद कर पानी भर दिये एवं दूसरी बंदी पर पाटा चलाकर नुकसान किये तथा पानी भरने से धान रोपा सड़ गया था। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना बिरसा में की थी, जिस पर पुलिस थाना बिरसा द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्र.—54/09 धारा—188, 427/34 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान फरियादी व साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार कर संपूर्ण अनुसंधान उपरान्त उसके विरुद्ध न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया।

3— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—188, 427/34 के अन्तर्गत आरोप पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाए व समझाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी रमेश क्षीरसागर ने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया जिसके फलस्वरूप आरोपीगण के विरुद्ध धारा—427/34 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध शमन किया गया तथा शेष अपराध धारा—188 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत विचारण पूर्ण किया गया। आरोपी ने धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फँसाया जाना व्यक्त किया। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश नहीं की है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक—31.07.2009 की रात्रि 8:00 बजे से दिनांक—01.08.2009 की सुबह 9:00 बजे की समयावधि में थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम चरचेण्डी में फरियादी रमेश क्षीरसागर के खेत में यह जानते हुए कि तहसीलदार महोदय, बिरसा द्वारा फरियादी की खसरा नंबर—28/01, रकबा 3.64 एकड़ भूमि पर किसी कार्य से विरत रहने का आदेश प्रख्यापित किया गया है, जिसे प्रख्यापित करने के लिए उक्त लोक सेवक सशक्त था, उसकी अवज्ञा के परिणामस्वरूप विधिपूर्वक नियोजित फरियादी रमेश क्षीरसागर को बाधा क्षति कारित की ?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5— फरियादी रमेश क्षीरसागर (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है, जो उसके ग्राम के ही हैं। घटना वर्ष 2009 की है। आरोपीगण ने उसकी भूमि जिसका खसरा नंबर—28/1, जो तीन एकड़ चौसठ डिसमिल है, जिसके एक एकड़ भूमि पर पटा चला दिए थे, जिससे उसके धान की नुकसानी हो गई और उसके खेत का पानी जो पुल से निकलता है, को आरोपीगण ने बांध दिए थे, जिससे एक एकड़ का रोपा सड़ गया था, जिससे उसे 10—15 हजार रुपये की नुकसानी हो गई थी। घटना के समय उसके पास तहसीलदार बिरसा एवं न्यायालय का आदेश था, जिसकी जानकारी आरोपीगण को भी थी। उसके बाद भी आरोपीगण ने पानी रोकने एवं पटा चलाने का कार्य किया था। घटना के संबंध में उसने थाना बिरसा में लिखित आवेदन दिया था, जो प्रदर्श पी—3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रथम सूचना प्रदर्श पी—4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी—5 बनाया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि जिस समय आरोपीगण तालाब की खुदाई कर रहे थे, उस समय तालाब की मिट्टी निकलीं थी वह मिट्टी भी पुलिया के पाईप में रखी थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने आरोपीगण को फसल की नुकसानी करते हुए नहीं देखा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसकी भूमि पर तालाब खुदाई पर से आरोपीगण से उसका विवाद हुआ था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उक्त विवाद के कारण आरोपीगण के खिलाफ उसने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जिस समय पुलिसवालों ने घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-5 पर हस्ताक्षर कराए थे, उस समय वह दस्तावेज कोरा था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है।

7— गिरधारी (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह प्रार्थी एवं आरोपीगण को जानता है। प्रार्थी रमेश ने उसे घटना के संबंध में कुछ नहीं बताया था। प्रार्थी एवं आरोपीगण के विरुद्ध क्या विवाद हुआ था, उसे नहीं मालूम। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि तहसीलदार के आदेश से आरोपीगण ने उक्त खुदाई का काम रोक दिया है, किन्तु इस सुझाव से इंकार किया कि उक्त आदेश के विपरीत आरोपीगण ने पानी निकासी के स्थान को बंद कर दिया, जिससे धान रोपा नष्ट हो गया था। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में तहसीलदार के आदेश के कथित अवज्ञा के संबंध में अभियोजन मामलों का समर्थन नहीं किया है।

8— दिनेश यादव (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण को जानता है। वह आरोपी चैतराम को भी जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपीगण घटना के समय धान रोपा पर पाटा चला रहे थे। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामलों का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

9— हेमेन्द्र कुमार (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह न्यायालय उपस्थित आरोपीगण को जानता है। वह चैतराम को भी जानता है। घटना लगभग एक वर्ष सुबह 7:00 बजे की उसके खेत ग्राम चरचेण्डी की है। आरोपीगण फावड़ा, कुदला लेकर आए और खोदने लगे। उसके द्वारा मना किये जाने पर उन्होंने दो-ढाई सौ लोगों के समूह को इकट्ठा कर लिये और युवराज, राजकुमार को मारे और उसे एक-दो झापड़ मारे।

10— शिवनाथ (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना दिनांक-03.07.2009 की सुबह 7:00 बजे की है। ग्राम चरचेण्डी में रमेश के खेत में तीनों आरोपीगण ने रमेश और उसके लड़के को मारा था। फिर 8-10 दिन बाद बारिश होने पर उसी खेत में रमेश ने रोपा लगाया था, किन्तु आरोपीगण ने पुलिया बांध दिए और पट्टा मार दिये, जिससे रमेश की सारी फसल का नुकसान हो गया।

11— कोमल (अ.सा.6) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह फरियादी रमेश को जानता है, जिसकी बंदी में धान का रोपा लगा हुआ था, जिसमें पानी भर गया था, जिसके बाबत हुई नुकसानी का पुलिस ने पंचनामा प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12— खुशलाल (अ.सा.7) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि घटना एक वर्ष से अधिक समय की है। घटना के समय उनके यहां पर प्रार्थी रमेश के धान रोपा को लेकर पुलिस आई थी। प्रार्थी रमेश का धान रोपा जहां लगा था, वहां खेत में पानी भर गया था, जिससे धान का रोपा नष्ट हो गया था। उसके समक्ष पुलिस ने नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-2 की कार्यवाही की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रार्थी को लगभग 10-15 क्विंटल धान की नुकसानी हुई थी। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि पुलिस ने प्रदर्श पी-2 का पंचनामा उसे पढ़कर नहीं बताया और पुलिस के कहने पर उसने हस्ताक्षर कर दिये थे।

13— अनुसंधानकर्ता अधिकारी अन्नीलाल सरयाम (अ.सा.8) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-01.08.09 को थाना बिरसा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थी रमेश के द्वारा लिखित आवेदन पेश करने पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-54/09, धारा-188, 427/34 भा.द.वि. के तहत आरोपीगण के विरुद्ध लेख किया था, जो प्रदर्श पी-4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त अपराध क्रमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक-02.08.09 को रमेश की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-5 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही शिवनाथ, रमेश एवं दिनांक-06.08.09 को दिनेश, अशोक, हेमेश के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक-02.08.09 को प्रार्थी को धान रोपा की हुई नुकसानी बाबत नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-2 साक्षियों के समक्ष बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसमें लगभग 12,000/-रुपये की नुकसानी होना बताया गया था। ग्राम हर्भाट के सरपंच को तालाब निर्माण कार्य बंद करने के लिए तहसीलदार बिरसा के द्वारा आदेशित किया गया था, जिसकी सत्यापित प्रति चालान के साथ संलग्न किये हैं। दिनांक-08.08.09 को साक्षियों के समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-3 से लगायत 5 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण एवं प्रार्थी के बीच में श्रीमती कविता इवनाती व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के न्यायालय की आदेश की फोटोप्रति चालान के साथ संलग्न किया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके

कथन का खण्डन नहीं हुआ है।

14— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य से यह तथ्य प्रकट होता है कि उक्त घटना के समय आरोपीगण ने फरियादी रमेश के खेत का पानी निकलने से रोक दिया, जिससे फरियादी के खेत का रोपा सड़ने के कारण उसे नुकसानी हुई। प्रकरण में अभियोजन की ओर से राजस्व न्यायालय अर्थात् तहसीलदार के कथित आदेश को किसी भी साक्षी से प्रदर्श करारकर विधिवत् प्रमाणित नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य को प्रमाणित किये बगैर मात्र मौखिक साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता कि तहसीलदार के द्वारा लोक सेवक के रूप में कोई आदेश पारित किया गया था, जिसका आरोपीगण ने पालन नहीं किया अथवा उक्त आदेश की अवज्ञा की, जिसके परिणामस्वरूप क्षति कारित हुई हो। इस प्रकार महत्वपूर्ण साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता कि आरोपीगण ने लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा की थी।

15— अभियोजन ने अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपीगण फरियादी रमेश क्षीरसागर के खेत में यह जानते हुए कि तहसीलदार महोदय, बिरसा द्वारा फरियादी की खसरा नंबर-28/01, रकबा 3.64 एकड़ भूमि पर किसी कार्य से विरत रहने का आदेश प्रख्यापित किया गया है, जिसे प्रख्यापित करने के लिए उक्त लोक सेवक सशक्त था, उसकी अवज्ञा के परिणामस्वरूप विधिपूर्वक नियोजित फरियादी रमेश क्षीरसागर को बाधा क्षति कारित की। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

16— आरोपीगण के जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

17— प्रकरण में आरोपीगण अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहें हैं। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट